प्रेस विज्ञप्ति
11.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ने अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री से जुड़े मामले में दिनांक 09.03.2024 को पटना में सुभाष यादव और उनके उकरीबी सहयोगियों से संबंधित 6 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने मैसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत बिहार पुलिस द्वारा दर्ज 20 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की । यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (बीसीपीएल) खनन प्राधिकरण, बिहार द्वारा जारी विभागीय प्री-पेड परिवहन ई-चालान का उपयोग किए बिना अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री में शामिल रही है और इससे सरकारी खजाने को 161.15 करोड़ रुपए की सीमा तक भारी राजस्व हानि हुई है।

ईडी की जांच में पता चला कि रेत का अवैध खनन और इसकी बिक्री मुख्य रूप से एक सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित थी। सुभाष यादव सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य होने के साथ-साथ मैसर्स ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड का पूर्व निदेशक भी है, जो अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री में शामिल था। जांच से यह भी पता चला है कि सुभाष यादव ने अपराध से भारी कमाई की है और अपनी कंपनियों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियां हासिल करके इसे छुपाया है।

इससे पहले इस मामले में ईडी 3 बार तलाशी अभियान चला चुकी है और मैसर्स बीएसपीएल के निदेशकों और सिंडिकेट सदस्य राधा चरण साह (एमएलसी, बिहार) और उनके बेटे कन्हैया कुमार समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

दिनांक 09.03.24 को तलाशी अभियान के दौरान सुभाष यादव के एक कर्मचारी और करीबी सहयोगियों के परिसर से लगभग 2.37 करोड़ रुपए की अस्पष्टीकृत नकदी बरामद हुई और अपराधिक डेटा वाले पेनड्राइव, मोबाइल फोन और लैपटॉप सहित डिजिटल उपकरण पाए गए और जब्त किए गए हैं। । एकत्र की गई सामग्री के आधार पर और धन-शोधन के अपराध में उनकी भूमिका के आधार पर, सुभाष यादव को 09.03.24 को गिरफ्तार किया गया और 10.03.2024 को विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्हें 22.03.2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

आगे की जांच जारी है।